फर्द अहकाम

मुकेश कुमार **बनाम** जगदीश वगैरह

ालय Acm (FD) Shabpura - Jaipur

ा 35/2023 दावा धारा - 53,188 RTA.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/2/25	माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के प्रकरण /अपील/133/25/1999 दिनांक 3/2/2025 के द्वारा उनवान मुकेश कुमार v/s जगदीश वगैरह वाद सं. 35/2023 इस पत्रावली तलब की गई है। इस पत्रावली भिजवाई गई। प्राप्त पत्रावली बइन्तजार प्राप्त होने इस वाद हेतु दिनांक 27/2/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
27/2/25	उभय पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / PO साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 30/4/25 को पेश हो। (रीडर)	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद माननीय न्यायालय RAA जयपुर के यहाँ विचाराधीन है, तब तक उक्त प्राप्त पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इस वाद प्राप्त होने पर पुनः दर्ज कर लिया जावेगा। पत्रावली नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

2023/111

(1)

न्यायालय :–सहायक कलेक्टर शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)

राजस्व वाद सं0 35 / 2023

मुकेश कुमार पुत्र रामदास, जाति कुम्हार, उम्र–वयस्क, (प्रजापति) निवासी शिवपुरी मनोहरपुर, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–वादी

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र रामदास, जाति कुम्हार
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामप्रताप जाति खटीक
3. दुर्गादेवी पत्नि स्व0 कल्याण सहाय जाति खटीक
4. पूरणमल पुत्र रामदास जाति कुम्हार
5. प्रवीण कुमार पुत्र कल्याण सहाय जाति खटीक
6. बंशीधर पुत्र रामप्रसाद जाति खटीक
7. महेन्द्र पुत्र प्रकाश चन्द जाति कुम्हार
8. मित्रपाल पुत्र कल्याण सहाय जाति खटीक
9. रमेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति खटीक
10. राकेश कुमार पुत्र कल्याण सहाय जाति खटीक
11. विक्रम पुत्र प्रकाश चन्द जाति कुम्हार
12. सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप जाति खटीक
13. सहदेव पुत्र बालू जाति खटीक
14. सहदेव पुत्र कालू जाति खटीक

समस्त निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान।

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज0)
16. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय–मनोहरपुर / शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्रीमान् जी,

सेवार्मे वाद पत्र दो प्रतियों में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1 यहकि आराजी खसरा नं0– 5463 / 1 / 0.1100, 5469 / 0.2600, 5471 / 0.2600, 5488 / 0.4500 है0 कुल किता–4 कुल रकबा 1.0800 है0 वाके ग्राम शिवपुरी, पटवार हल्का मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–156 संलग्न वाद पत्र है।

2 यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित खातेदारी भूमि में वादी का 1 / 12 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार है। वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी को अपने अपने उपरोक्त हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है।

3 यहकि अब कुछ अर्से से वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 के मध्य मनमुटाव हो गया है ओर वे वादी से नाराज रहने लग गये है तथा वादी के वाद पत्र के जिमन नं0–1 मे वर्णित आराजी में उसके हक हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने लग गये है तब वादी ने वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा वादी को एलानियाँ धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा के विशिष्ट के भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध कराकर तथा आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराकर वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि से लठ के जोर पर जबरन बेदखल करके रहेंगे।

4 यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबे में सफल हो गये ओर वे वादी को वाद पत्र के जिमन नं0–1 मे वर्णित आराजी में उसके हक व हिस्से की भूमि से बिना बंटवारा कराये ही जबरन बेदखल कर देंगे ओर आराजी के विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवा देंगे तथा वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि काश्त नहीं करने देंगे तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी इस कारण वादी को वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी का बंटवारा कराने के लिए एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के लिए प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

5. यहकि बिनाय दावा वाद पत्र के जिमन नं0–1 लगायत 14 के अनुसार वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 की सहखातेदारी भूमि होने तथा उसका कानूनी बंटवारा नहीं होना व प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 द्वारा बिना कानूनी बंटवारा कराये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान करने व वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने को आमादा होने व बंटवारा करने से मना करने एवं वाद पत्र के जिमन नं0–4 में वर्णित प्रकार से धमकी दिये जाने से पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है।

6. यहकि प्रतिवादी सं0–15 राजस्थान सरकार वादग्रस्त आराजी के भूमिधारक है जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है इस कारण उसे जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के रूप में पक्षकार प्रतिवादी सं0–15 वाद में बनाया गया है।

7. यहकि प्रतिवादी सं0–15 व 16 राज्य सरकार व लोक सेवक है जिसके विरूद्ध वाद दायरी से पूर्व उसे दो माह का विधिक नोटिस धारा–80 (1) सीपीसी के तहत दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उसे उक्त विधिक नोटिस दिया जाना संभव नहीं रहा है, इस कारण वादी ने धारा–80 (2) जाप्ता दीवानी का अलग से प्रार्थना पत्र पेशकर प्रतिवादी सं0–15 व 16 को विधिक नोटिस दिये जाने छुट व उसके विरूद्ध वाद दायर करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्राप्त कर ली है।

8. यहकि आराजी मुतनाजा एवं पक्षकारान का निवास स्थान व कार्यालय माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

9. यहकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित कोर्टफीस दावा बाबत बंटवारा एक रूपया एवं दावा बाबत स्थायी निषधाज्ञा एक रूपया कुल दो रूपये की कोर्टफीस पर प्रस्तुत वाद पत्र पेश है–

अतः वाद पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि–

(क) यहकि वादी का वाद प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट प्रतिनिधि स्थानापन्न वारिस आदि के खिलाफ डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नं0– 5463 / 1 / 0.1100, 5469 / 0.2600, 5471 / 0.2600, 5488 / 0.4500 है0 कुल किता–4 कुल

जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगायत 14 के मध्य सरस नरस व कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारा किया जावे तथा उक्त बंटवारे का आराजी के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे एवं वादी के बटवारे में आयी भूमि का वादी को अलग से कब्जा करवाया जावे।

(ख) यहकि प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे।

(ग) यहकि हर्जा खर्चा वाद व अन्य सहायता बहक वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय उचित समझे अता फरमायी जावे।

दिनांक 15.6.23.
स्थान–शाहपुरा, जयपुर।

वादी

मुकेश कुमार पुत्र रामदास, जाति कुम्हार, उम्र–व्यसक, (प्रजापति) निवासी शिवपुरी, मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

सत्यापन

मै उपरोक्त सत्यापनकर्ता सत्यापित करता हूँ, कि वाद पत्र के सम्पूर्ण तथ्य मेरी निजी जानकारी व विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही व सत्य है, जिसे मैने अपने सलाह सलाहकार से तैयार करवाया कर पढ़वाकर, सुन व समझ लिया है, इस प्रकार कोई तथ्य वाद पत्र में मिथ्या अंकित नहीं है ईश्वर हमारा साक्षी है।

दिनांक 15-6-23
स्थान–शाहपुरा, जयपुर।

सत्यापनकर्ता